भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1570

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भू-संपदा रिकॉर्ड में पारदर्शिता

1570. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत डेवलपर्स किसी प्लॉट या फ्लैट के खरीदार का नाम संपत्ति के रूप में रेरा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते हैं, जिससे पारदर्शिता नहीं रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में संशोधन करके पंजीकृत डेवलपर्स द्वारा परियोजना विवरण में सभी प्रकार के संपत्ति खरीदारों के नाम शामिल करने के लिए आदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संसद ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) अधिनियमित किया है।

रेरा के प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भू-संपदा क्षेत्र को विनियमित और विकसित करने के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण स्थापित करें।

इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वे सभी भू-संपदा परियोजनाओं के अपेक्षित ब्यौरों को आम जनता को देखने लिए

रिकार्ड को वेबसाइट पर प्रकाशित करें तथा उसका रख-रखाव करे, जिनके लिए पंजीकरण किया गया है।

रेरा एक विस्तृत विधान है, जिसका उद्देश्य भू-संपदा क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यों और लेन-देन का मानकीकरण करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस विधान का एक मुख्य उद्देश्य सूचना विषमता को दूर करना है, जिसके तहत प्रमोटर को विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपना वेब पेज बनाने लिए अधिदेशित करने तथा प्रस्तावित परियोजना के सभी विवरण सार्वजनिक रूप से देखने के लिए दर्ज करने होंगे, जिसमें (क) प्राधिकरण द्वारा दिए गए पंजीकरण का विवरण; (ख) बुक किए गए अपार्टमेंट या प्लॉट की संख्या और उनके प्रकार जैसा भी मामला, की सूची तिमाही आधार पर अद्यतन करना; (ग) बुक किए गए गैरेज की संख्या की सूची का तिमाही आधार पर अद्यतन करना; (घ) लिए गए अनुमोदनों की सूची तिमाही आधार पर अद्यतन करना तथा ऐसे अनुमोदन जो कार्य प्रारंभ संबंधी प्रमाण-पत्र के बाद लंबित है; (ङ) परियोजना की स्थिति का तिमाही आधार पर अद्यतन करना; तथा (च) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य जानकारी और दस्तावेज।

*****